श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पात्रता और गणना सीमा मे वृद्धि करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

Declining Trade *Unionigm*

847. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state;

(a) whether according to a leading labour economist, Mr. Walter Galtn-Ron the of trade unionism, especially among the are cfouniries of Interodutions Labourrganisation.,risks deftbrnig the cherished Cases of tripirtion in-Volving worker mangment and the State for overall efficiency and productivity of the economy: and

(b) if so, What is Goerment re action thereto?

THE MINTSTER OF STATE OF THE "MINISTRY OF LABOUR (SHRT P. A. SANGMA}: (a) Yes, Sir.

(b) The V'"9WB expressed by Mr. Galenaan are based on a Dtiteti study en the decline in trade union

density during 1980—88 in. most industrialised countries, nootalvy "USA, UK France and Italy.

However, according to *firm.*, trade unions in the industrialised countries are by no means threatened with extinction and most of *them* are functioning statiacforily In fact some East Asian eoiuttries have seen an augmentation of unions strength and power. In Africa, too, the labour movement is getting more organised.

In India, there is as yet no evidence of any sharp decline in. trade union membership and the dynamics of collective bargaining and tripartism are Working satisfactorily

भविष्य निधि का भुगतान करने वाले संस्थानों के विरुद्ध मामले

348. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में उन संस्थानों और व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध पिछले दो वर्षों के दौरान भविष्य निधि का समय पर भुगतान न करने के कारण मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) उन फर्मों और व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके ऊपर दो लाख रुपये से भी अधिक की भविष्य निधि की राशि बकाया है ;

(ग) उन संस्थानों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके ऊपर इस समय दस लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है और जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया है, और

(घ) सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और इस के परिणामस्वरूप, पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी राशि भविष्य निधि में जमा कराई गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार में 11 प्रतिष्ठानों तथा 23 व्यक्तियों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि चूक संबंधी मामले पंजीकृत किये गये थे ।

(ख) बिहार में 5 प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनके पास 2 लाख रुपये से अधिक भविष्य निधि की राशि बकाया है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**) ।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 7क और 8ख के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की थी और परिणामस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान बिहार में 188.27 लाख रुपये की धनराशि वसूल की गयी है ।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत बिहार क्षेत्र के वैसे चूककर्ता संस्थाओं की सूची जिनके विरुद्ध 10 लाख रुपये से ऊपर भविष्य निधि बकाये की राशि देय है:

क्र.स. संस्थान का नाम एवं विवरण

1 मैसर्स इन्कैब, (इंडियन कैबुल कम्पनी) जमशेदपुर ।

2 मैसर्स कचवार लाईम एंड स्टोन कम्पनी, बनजारी ।

3 मैसर्स हार्ड टेम्परड्सुलेशन फैक्ट्री, नामकूम, रांची ।

4 मैसर्स रिलायन्स फाउंडर, विकर एंड पौटरी वर्क्स कम्पनी लि०, धनबाद ।

5 मैसर्स कुमार पुर्वी इंजीनियरिंग वर्क्स (अब मैसर्स कुमार पुर्वी मैटल, कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड), धनबाद।

6 मैसर्स ईस्टर्न मैगनीज एवं मिनरल लिमिटेड ।

7 मैसर्स इलेक्ट्रिक इक्वीपमेंट फैक्ट्री, टाटी सिल्वे, रांची ।

8 मैसर्स दीपशिखा कार्बिका फैक्ट्री, हजारीबाग ।

9 मैसर्स सिन्हा इलप एंड डाइज, जमशेदपुर ।

10 मैसर्स रामेश्वर चन्द्र आहा चक्रधरपुर ।

11 मैसर्स मो० सईद फिरोजहीन बीड़ी भवैन्ट, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

12 मैसर्स लौंगिया बीड़ी कम्पनी, बिहार-शरीफ, नालन्दा ।

13 मैसर्स कटिहार जूट मिल्स, कटिहार ।

14 मैसर्स बिहार सुगर वर्क्स, पंचरुखी, सिवान ।

15 मैसर्स एच.एम.पि. सुगर मिल्स, चंपारन

16 मैसर्स बेलाल बीड़ी फैक्ट्री, प्रा० लि०, पाकुर ।

17 मैसर्स श्याम बीड़ी वर्क्स, पाकुर ।

18 मैसर्स गया कॉटन एंड जूट मिल्स, गया।

19 मैसर्स बिहार स्टेट बिभरस एंड स्पीनिंग मिल्स, मोकामा, पटना ।

20 मैसर्स समस्तीपुर अनुमंडलीय खादी ग्रामोद्योग समिति, समस्तीपुर ।

विदेशों में रोजगार के झूठे वायदों से छले गये श्रमिक

849. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एजेंटों द्वारा विदेशों में रोजगार दिलाने के नाम पर श्रमिकों का आर्थिक शोषण किये जाने के मामले दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कार्य-वाही की है ;

(ग) क्या सरकार विदेशों में उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए अपनी देख-रेख में एक केन्द्रीकृत केंद्र आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि निर्दोष श्रमिकों का शोषण रोका जा सके; और

(घ) ऐसे एजेंटों की संख्या कितनी है जिनके पास वैध लाइसेंस हैं और जो श्रमिकों को विदेशों में भेजने के कार्य में लगे हैं और उनके कार्य-क्षेत्र की सीमा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) श्रम शक्ति नियति संवर्धन परिषद् की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 28-7-1994 की स्थिति के अनुसार श्रम शक्ति नियति के लिए 1174 भर्ती एजेन्ट जिनके पास वैध पंजीकृत प्रमाण